1025/115

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....कोटा.....

.....सुन्दर लाल.....बनाम.....राज्य.....

किस्म मुकदमा.....136 L.R. Act.....नं. .....18.....सन्.....2025.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सुन्दर लाल की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी सुन्दर लाल की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ...17/3/25..... को पेश हो।	
17/3/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी सुन्दर लाल की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा खाता संख्या 18 की जमाबन्दी में प्रार्थी का बालता नाम सुन्दरा पुत्र बिरधा इन्द्राज है। जब कि प्रार्थी का नाम सुन्दर लाल पुत्र बिरधी लाल है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम रायपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या 18 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सुन्दरा पुत्र बिरधा के स्थान पर सुन्दर लाल पुत्र बिरधी लाल करने की कृपा करे। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविग लाईसेंस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सुन्दर लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम रायपुरा के खाता संख्या 18 की जमाबन्दी में प्रार्थी का बोलता नाम सुन्दर पुत्र बिरधा दर्ज हो गया है। प्रार्थी सुन्दर लाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम रायपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या 18 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सुन्दरा पुत्र बिरधा के स्थान पर सुन्दर लाल पुत्र बिरधी लाल दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक ...17/3/25..... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	